संख्या- 82 /2026/ 774 /चार-2026-1883852

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2026**

विषय:- गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1188/उ0प्र0सं0नि0 -5 (159)/2024-25 दिनांक 10.03.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 141 /2025 / 593 /चार-2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु रू0 **4473.37 लाख की प्रशासकीय** तथा रू0 **1565.68 लाख** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु **रू0 4458.33 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ अट्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए**,** धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) आगामी किश्त के प्रस्तावों में जियोटैग रंगीन फोटोग्राफ्स जिसमें संबंधित प्रशासनिक अधिकारी/इंजीनियर बैकग्राउंड में खड़े हों, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) परियोजना हेतु अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व विभिन्न भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TQPA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- ए-2-1960262 दिनांक 12.12.2025 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) शासनादेश संख्या- 141 /2025 / 593 /चार-2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0, उ0 प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 15,00,00,000.00 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048002200 गोरखा रेजिमेन्ट सेन्टर, गोरखपुर शहीद स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई- 42, गोरखपुर।
ई-मेल- director@cdsupjn.org
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।